कार्यक्रम का नाम– ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की मासिक बैठक का आयोजन एवं अनुश्रवण।

बजट/एफ.एम.आर. शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर)– ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की मासिक बैठक का आयोजन एवं अनुश्रवण।

बजट क्रम संख्या/एफ.एम.आर. कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर)– **B8.1**

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणः

आवधारणाः राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक राजस्व ग्राम में **"गामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति"** के गठन की अवधारणा है जो संबंधित पंचायत की देख–रेख में संचालित किये जाएंगे। जिसमें राजस्व ग्राम के सभी टोलों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण स्तर पर जनस्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं पर्यावरण रख–रखाव को भी सुनिश्चित करना है।

वित्तीय दिशा–निर्देशन

प्रक्रिया (वित्तीय वर्ष 2011–12 में राशि की उपयोगिता)–

- **कंडिका (क)**– वित्तीय वर्ष 2011–12 में पंचायत स्तर पर गठित एवं कार्यरत "लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति–सह–ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति" की मासिक बैठक आयोजित करने के लिए एक सौ रुपये (Rs 100) प्रति माह की दर से उपलब्ध करायी जा रही है। इसे संबंधित "लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति–सह–ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति" के बैंक खाते में एक साल के लिए कुल Rs 1200 की राशि भी उपलब्ध करायी जानी है। **उदाहरण के रुप में यदि पंचायत स्तर पर गठित "लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति–सह–ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति" के अन्तर्गत पाँच राजस्व ग्राम आते है तो उक्त "लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति–सह–ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति" के बैंक खाते में 50,000 रुपये (Rs 10,000 X 5 = 50,000 रुपये) दिये जाते हैं इसके अतिरिक्त Rs 1,200 (Rs 100 x12 month) बैठक आयोजित करने के लिए दिये जायेगें। इस प्रकार एक समिति को कुल 51,200 रुपये उपलब्ध कराया जायेगा।**

उक्त मासिक बैठक की कार्यवाही एवं उपस्थिति पंजी संबंधित ए.एन.एम. द्वारा संधारित की जायेगी तथा इसमें होने वाले व्यय को भी इसी पंजी में संधारित किया जायेगा। जिसे आवश्यकतानुसार सार्वजनिक किया जा सकता है।

- **कंडिका (ख)– ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के बैठकों में प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों की भागीदारीः–** वित्तीय वर्ष 2011–12 में पंचायत स्तर पर गठित एवं कार्यरत "लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति–सह–ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति" की आयोजित मासिक बैठक में प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों की भी भगीदारी सुनिश्चित करनी है। इसके लिए उक्त "लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति–सह–ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति" जिस प्रखण्ड/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत आते है उसके प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक (BHM), प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक (BCM) एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) द्वारा उक्त बैठक में भाग लेना है। इसके लिए प्रति बैठक में भाग लेने हेतु एक सौ रुपये (Rs 100) प्रति व्यक्ति के दर से देय होगा। यहाँ यह उल्लेखित करना उचित होगा कि एक बैठक में उपर्युक्त वर्णित चार पदाधिकारी में से कोई एक हीं पदाधिकारी बैठक में भाग ले सकेगें तथा अन्य तीन

पदाधिकारी अन्य तीन बैठक में भाग लेगें। जैसा कि ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस से संबंधित राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक संख्या SHSB/GenAdmin/256/2010/24613 दिनांक–15/03/11 में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को उल्लेखित समिति की बैठक आयोजित की जानी है जिसमें संबंधित पदाधिकारियों की भागीदारी अनिवार्य है। **यदि निर्धारित दिवसों के अतिरिक्त किसी अन्य तिथि को बैठक का आयोजन किया जाता है तो संबंधित ए.एन.एम. की यह जवाबदेही होगी कि पुर्व में हीं परिवर्तित तिथि की सूचना प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को एवं प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक को दिया जाय।** तत्पश्चात प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक संबंधित पदाधिकारियों को समय से पुर्व सूचित कर देगें। इस बैठक में प्रखण्ड स्तर से उपर्युक्त वर्णित चार पदाधिकारियों की अधिकतम उपस्थिति के लिए आवश्यक है कि पंचायत स्तर पर गठित उक्त समिति के मासिक बैठक की तिथि पुर्व निर्धारित एवं प्रचारित हो जिससे इस बैठक का अनुश्रवण अच्छी तरीके से हो सके। **इस मद में चालु वित्तीय वर्ष के अंतर्गत एक VHSC की मासिक बैठक को साल में तीन बार अनुश्रवण हेतु राशि उपलब्ध करायी जा रही है। इस प्रकार से किसी भी पंचायत में उक्त समिति (VHSC) की मासिक बैठक को साल में अधिकतम तीन बार ही किसी उपर्युक्त वर्णित पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा।** इस प्रकार से प्रखण्ड/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले सभी पंचायत की उक्त समिति (VHSC) की मासिक बैठक का अनुश्रवण किया जा सके। जिला स्तर के पदाधिकारी जिला स्तर पर उपलब्ध संबंधित अन्य कार्यक्रमों के अनुश्रवण मद की राशि से इस कार्यक्रम का अनुश्रवण कर सकेगें।

<u>ईकाई राशिः</u>

- @Rs. 100/-प्रति माह प्रति VHSC मासिक बैठक आयोजित करने के लिए। यह राशि 100रुपये/. प्रतिमाह की दर से 1200 रुपये/– की कुल राशि सीधे VHSC के खाते में हस्तानान्तिरित कर दी जायेगी।
- @Rs 100/-प्रति ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी को प्रोत्साहन राशि VHSC की मासिक बैठक में भाग लेने हेतु। यह राशि पर्यवेक्षण के लिए प्रयुक्त की जायेगी जिसे प्रखण्ड स्तर पर रखा जायेंगा।

<u>वित्तीय रख–रखाव</u>

राशि उपयोग करने के तरीकेः–

- **कंडिका (क) के लिए**– 100/–रूपये प्रतिमाह की दर से ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित करने के लिए उपलब्ध करायी जा रही है। इस राशि के उपयोग की जवाबदेही पंचायत स्तर पर गठित "लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समिति को होगी। जहां तक उपयोग की गयी राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र का प्रश्न है समिति द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की मासिक बैठक के आयोजन में किये गये खर्च का ब्यौरा सिर्फ समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर के उपरान्त संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को भेजी जाएगी यहां यह उल्लेखित करना आवश्यक है कि उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ कोई भी विपत्र भेजने की आवश्यकता नही है तथापि विपत्र नियमानुकूल समिति अपने स्तर पर सुरक्षित रखेगी जिसे जरूरत के अनुसार अंकेक्षण एवं अन्य के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी का दायित्व होगा कि समिति से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र को संकलित कर विहित प्रपत्र में जिला स्वास्थ्य समिति को प्रेषित करेगी।

उपर्युक्त दोनों राशि का प्रमाण पत्र एक हीं FMR कोड के माध्यम से भेजा जायेगा। यहाँ यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि 1200 रुपये/–की राशि जो सीधे VHSC के खाते में भेजा जा रहा है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र VHSC के मानक

प्रक्रिया के माध्यम से हीं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा तथापि इस राशि को संबंधित FMR कोड संख्या B8.1 में हीं अंकित करना सुनिश्चित करें।

- **कंडिका (ख) के लिए**–100/–रुपये की प्रोत्साहन राशि उपर्युक्त वर्णित चार पदाधिकारी को ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की मासिक बैठक में भाग लेने पर प्रदान किया जाना है। विदित हो कि ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के बैठक की अनुश्रवण मद की राशि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर गठित रोगी कल्याण समिति के एकाउन्ट में जमा रहेगी तथा जब भी कोई उपर्युक्त वर्णित चार पदाधिकारी में से कोई पदाधिकारी ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक में भाग लेगें तथा बैठक की कार्यवाही पंजी पर भ्रमणकर्त्ता पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, तिथि अंकित करना सुनिश्चित करेगें साथ ही भ्रमणकर्त्ता पदाधिकारी की यह जवाबदेही होगी कि बैठक में लिये गये निर्णयों से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को लिखित प्रतिवेदन में सूचित करेगें जिसके आधार पर उन्हें निर्धारित की गई राशि का भुगतान किया जायेगा। विदित हो कि एक पंचायत की VHSC की मासिक बैठक के लिए साल में अधिकतम तीन बार अनुश्रवण के लिए ही राशि का प्रावधान है अर्थात् किसी भी परिस्थिति में साल में एक VHSC की मासिक बैठक के अनुश्रवण हेतु तीन बार से अधिक की राशि भुगतान नहीं की जायेगी। कुल भुगतेय प्रोत्साहन राशि का वितरण संकलित कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इस राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में जिला स्वास्थ्य समिति को प्रेषित करेगी।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) 24613, Dated 15.03.11 (ख) 11336, Dated 24.07.09 (ग) 11337 Dated 24.07.09, (घ) 11897, Dated 08.09.09, (ड़) 12889, Dated 10.11.09, (च) 15911, Dated 26.04.10, (छ) 9087, Dated 03.02.2009 (ज) 9219, Dated 21.02.2009

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम– श्री रंजीत समैयार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर– 9470003025